निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 माघ 1929 (श०)
(सं० पटना 83) पटना, बुधवार, 13 फरवरी 2008

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

13 फरवरी 2008

सं०-एल०जी०-1-03१/2007/लेज-24—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 7 फरवरी 2008 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

(बिहार अधिनियम 09, 2008)

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007

इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 के संशोधन हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना.- यतः इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1984 (बिहार अधिनियम 10, 1984) पारित होने का उद्देश्य इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना जिसका उद्देश्य उच्च स्तरीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधा प्रदान करना तथा सतत् शिक्षा कार्यक्रम का विकास करना और डिग्री, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र तथा द्वारा स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करना था,

यतः, जबकि संस्थान कई कारणों से वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं रही हैं;

यतः, जबकि बिहार सरकार चिकित्सा शिक्षा एवं स्वस्थ्य तथा चिकित्सकीय देख-रेख की सुविधा प्रदान करने में उच्च स्तरीय विकास के लिये सदैव प्रतिबद्ध है;

यतः, जबकि यह आवश्यक समझा जा रहा है कि इस संस्थान को पूर्ण कालिक चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाय तथा वर्त्तमान चिकित्सकीय आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं सुदृढ़िकरण किया जाय ताकि अतिविशिष्ट संस्थान की स्थापना हो सके;

यतः, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अधिनियम में संशोधन किया जाय।

भारत गणराज्य के अंठावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।**-(1) यह अधिनियम इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जा सकेगा ।

(2) यह तुरत प्रवृत्त होगा ।

2. **बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-2 का संशोधन।**-(1) अधिनियम की धारा-2, में खण्ड (*vii*) के पश्चात् निम्नलिखित खंड (*viii*) जोड़ा जायेगा:--

"(*viii*) चिकित्सा धारा में पूर्व स्नातक, स्नातक, स्नातकोत्तर, पोस्ट डाक्टोरेल एवं डिप्लोमा कोर्स की शिक्षा देने के लिये चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करना।"

3. **बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-5 का प्रतिस्थापन।**--अधिनियम की धारा-5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा:--

शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे:--

(1) मंत्री, स्वास्थ्य	--	पदेन	--	अध्यक्ष
(2) बिहार विधान-सभा के विरोधी दल का नेता	--	पदेन	--	सदस्य
(3) सचिव, स्वास्थ्य	--	पदेन	--	सदस्य
(4) सचिव, वित्त	--	पदेन	--	सदस्य
(5) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा/अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा		पदेन	--	सदस्य
(6) संस्थान के निदेशक	--	पदेन	--	बोर्ड के सदस्य सचिव
(7) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं	--	पदेन	--	सदस्य
(8) बिहार के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का वरीयतम प्राचार्य (प्रिन्सपल)।		पदेन	--	सदस्य

(9) संस्थान के चार संकाय सदस्य, जिसमें दो प्राध्यापक, एक सह प्राध्यापक और एक सहायक प्राध्यापक वरीयता के अनुसार बारी-बारी से दो वर्षों के लिये होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत चार सदस्य जो चिकित्सा सेवा से होंगे।

(2) अधिनियम के असंशोधित विद्यमान शासी बोर्ड संशोधित धारा-5 के अनुसार बोर्ड गठित करने वाली अधिसूचना के निर्गमन के बाद विघटित हो जायेगा। यद्यपि भी, अत्यावश्यकताओं में अध्यक्ष जब कभी चाहें अल्प सूचना देकर बोर्ड की बैठक आहूत कर सकेंगे।

4. **अधिनियम की धारा-7 का संशोधन।**--धारा-7 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:--

"(1) अधिनियम की धारा-5 के अनुसार गठित शासक बोर्ड की पदावधि बोर्ड गठन के पश्चात् प्रथम बैठक से 5 वर्षों की होगी:

परन्तु राज्य सरकार शासक बोर्ड के किसी भी सदस्य को पदावधि पूरा होने के पूर्व निम्नलिखित आधार पर हटाने हेतु सक्षम होगी:--

(क) किसी सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा वह सदस्य के दिवालिया घोषित किया गया है।

(ख) जहां कोई सदस्य नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त करने वाले किसी दांडिक अपराध सिद्ध हो जिसमें अनुसंधान के पश्चात् चार्ज सीट दिया गया हो और सक्षम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो।

(ग) सदस्य संस्थान के हित में हानिकारक कार्य करता हो।

(घ) यदि राज्य सरकार की राय में सदस्य का कार्य अस्वस्थता, किसी अनुचित आचरण में संलिप्त रहने, वित्तीय अनियमितता आदि जैसे किसी कारण से शासन बोर्ड के सदस्य के रूप में उसे बने रहने के अनुपयुक्त करता हो अथवा किसी ऐसे कारण/कारणों से जो शासक बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए उसे अयोग्य करता हो:

परन्तु उपधारा (1) के अधीन किसी सदस्य को हटाये जाने के पूर्व उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये अवसर दिया जायेगा।"

5. **बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-10 का प्रतिस्थापन।**--धारा-10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा:--

(1) साधारणतः बोर्ड के अध्यक्ष के अनुमोदित स्थल पर बोर्ड की बैठक होगी और इस बैठक में ऐसे कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रिया/नियमों का पालन करेगा जो विहित किये गये हों।

6. **अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:--**

(1) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर कार्यकारिणी परिषद् का गठन किया जायगा।

(*i*) संस्थान का निदेशक	--	पदेन
(*ii*) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा या अपर निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	--	पदेन
(*iii*) चिकित्सा महाविद्यालय का प्राचार्य (प्रिंसपल) जो शासक बोर्ड का सदस्य हो।	--	पदेन
(*iv*) संस्थान का संकायाध्यक्ष	--	पदेन
(*v*) शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य		
(*vi*) सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार या उनके प्रतिनिधि		

(2) संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने पर कार्यकारी परिषद्, तदर्थ समितियां सहित सभी विद्यमान समितियां भंग हो जायेगी।

7. **बिहार अधिनियम 10, 1984 की धारा-12 का संशोधन।**--अधिनियम की धारा-12 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:--

राज्य सरकार निदेशक की नियुक्ति खुले विज्ञापन के माध्यम से, चयन द्वारा करेगी। निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति होगी:--

(1) विकास आयुक्त -- अध्यक्ष
(2) सचिव, स्वास्थ्य विभाग -- सचिव
(3) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार सरकार
(4) चिकित्सा सेवा से सम्बद्ध दो विशेषज्ञ जो राज्य साकार द्वारा नामित होंगे।
(5) निदेशक, इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना।
(6) राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय को एक वरीयतम प्राचार्य।

निदेशक की नियुक्ति 5 वर्ष की नियत अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक; जो भी पहले हो, के लिये होगी:

परन्तु बाहर जाने वाले निदेशक पुनः निदेशक के पद पर 5 वर्षों के लिये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे यदि वे 65 वर्ष की आयु पूरा नहीं किये हों।

सरकार निदेशक को उसके कार्यकाल के भीतर उन आधारों पर हटाने अधिकार आरक्षित रखती है जिन आधारों पर अधिनियम की धारा-7 में उपबंध के अनुसार शासक बोर्ड के सदस्य को हटाया जा सकता हो।

8. **व्यावृत्ति।**--वर्तमान संशोधन अधिनियम द्वारा अधिनियम में किसी संशोधन के होते हुए भी शासक बोर्ड कार्यकारी परिषद् का अधिनियम के अधीन गठित किसी भी समिति द्वारा लिये गये सभी विनिश्चय तबतक विधिमान्य होंगे जबतक कि धारा-5 के अधीन अधिसूचित शासक बोर्ड उसे उपांतरित, परिवर्तन, कमी अथवा संशोधित न करे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

---

13 फरवरी, 2008

सं०-एल0 जी0-1-031/2007/लेज-25--बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2008 को अनुमत इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2007 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
योगेन्द्र प्रसाद,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 09, 2008]

THE INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) ACT, 2007

AN

ACT

TO AMEND THE INDIRA GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT, 1984

Preamble.— Whereas Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Act, 1984 (Bihar Act No.10 1984) hereinafter referred to as the act has been enacted to establish Indira Gandhi Institute of Medical Sciences with an object, *inter-alia,* to develop centre for delivery of health and medical care of highest standard and further to develop continued education programme and award degree diplomas and certificates and post-graduate degrees;

AND, WHEREAS the institute has not achieved the desired objectives for many reasons;

AND, WHEREAS the state Government is committed to improve medical education and provide medi-care of high standard,

AND WHEREAS it is considered necessary to convert the institute into a full fledged medical college and also to improved and strengthen existing infrastructure of health and medi-care with a view to establishing it as an institute of excellence.

AND WHEREAS to achive above objective it is felt expedient to amend the Act.

BE it enacted by the legislature of the State of Bihar in the fiftyeight year of Republic of India as follows:—

1. Short Title and commencement.—(1) This Act may be called the Indira Gandhi Institute of Medical Sciences.(Amendment)Act,2007

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section-2 of Bihar Act 10, 1984.— In Section-2 of the Act following clause (*viii*) shall be added after clause (*vii*):—

"(*viii*) to establish a medical college for imparting education of undergraduate, post graduate, post doctoral and diploma course in medical stream".

3. Substitution of section-5 of Bihar Act, 10, 1984:—SECTION-5 OF THE ACT SHALL BE SUBSTITUTED BY THE FOLLOWING:—

"The Board of Governors shall consist of the following members:—

(1) Minister of Health,	Ex-officio	Chairman
(2) Leader of opposition of Bihar Assembly	Ex-officio	Member
(3) Secretary Health,	Ex-officio	Member
(4) Secretary Finance,	Ex-officio	Member
(5) Director Medical Education/ Additional Director Me1.Education	Ex-officio	Member
(6) Director of the Institute,	Ex-officio	Secretary of the board
(7) Director-in-Chief of Health Services	Ex-officio	Member
(8) Senior most Principal of Govt. Medical colleges of Bihar,	Ex-officio	Member

(9) Four faculty members of the institute Consisting of 2 professors, one Associate Professor and one Assistant Professor according to seniority on rotation for every two years.

(10) Four members to be nominated by the State Government from amongst persons of medical profession.

(2) The existing Board of Governors constituted under unamended provision of the Act, shall stand dissolved after issuance of Notification constituting the board in accordance with amended section-5.

4. *Amendment of Section 7 of Bihar Act 10, 1984.*—Sub-section (1) of Section 7 of the Act shall be substituted by the following:—

"(1) The term of Board of Governors Constituted in accordance with Section 5 shall be five years from its first meeting after constitution:

Provided that the State Government shall be competent to remove any one of the members of the Governing Body before expiry of the terms of office of such members on the grounds:—

(*a*) Such member is declared an insolvent by a competent Court/authority.

(*b*) Such member is accused of any criminal offene involving moral turpitude where in which after investigation charge-sheet has been submitted and competent court has taken cognizance of the offence.

(*c*) Such member acts in a manner detrimental to the interest of the institute.

(*d*) If in the opinion of the State Government his action has rendered him unsuitable to continue as a member of the Board of Governors for any reason such as ill health, indulding in unfair practice, involved in any financial irregularity etc. or such other reason/reasons which renders him unfit to continue as a member of the Board:

Provided that before removing such member under Section (1) he shall be afforded opportunity to explain his position."

5. *Substitution of Section-10 of Bihar Act 10, 1984.*—Section-10 shall be substituted by the following:—

"The Board shall ordinarily meet quarterly at a place approved by the chairman of the Board of Governors and observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting as may be prescribed. However, in exigencies, the Chairman may call a meeting at short notice as and when desired."

6. *Amendment of Section-11 of Bihar Act 10, 1984.*—Sub-section (1) of Section-11 shall be substituted by the following:-

(1) The Executive council shall be constituted by the Board consisting of the following members:—

(*i*) Director of the Institute	Ex-officio
(*ii*) Director Medical Education or Additional Director Medical Education.	Ex-officio
(*iii*) Medical College Principal Member of the Board of Governors. -	Ex-officio
(*iv*) Dean of the Institute	(Ex-officio)

(*v*) One member to be nominated by the Chairman of Board of Directors..

(*vi*) Health Secretary, Govt. of Bihar or his Representative.

(2) All existing committies including Executive council, adhoc committies; shall stand dissolved on coming into force of amending.

7. *Amendment of Section-12 of Bihar Act 10, 1984.*—Sub-section (1) of Section-12 of the act shall be substituted by the following:—

"(1) The State Govt. shall appoint the Director by selection through open advertisement. There shall be a selection committee consisting of the following members:—

(1) Development Commissioner	Chairman
(2) Secretary Health	Secretary

(3) Director in Chief Health Services Govt. of Bihar.

(4) Two experts from the medical profession to be nominated by the state Govt.

(5) Director, Indira Gandhi Institute of Cardiology, Patna.

(6) One senior most principal of the Govt, Medical College of the State.

The Director shall be appointed for a fixed tenure of 5 years or up to age of 65 years, which ever is earlier:

Provided that outgoing Director shall be eligible for reappointment for another term of five years if he has not attained 65 years of age and on being re-selected shall hold office for a further period of five years or till he attains 65 years of age whichever is earlier.

The Govt. reserves its right to remove the Director in the midst of his tenure on the grounds on which a member of the Board of Governor can be removed as provided in section 7 of the Act.

8. *Saving*:—Notwithstanding any amendment to the Act by the present amending Act. all decisions taken by Board of Governors. Executive council or any of the committees. constituted under the Act shall be valid till such time the Board of Governors notifide under section 5 the Act does not modifide, alter, rescind or amend it.

By order of the Governor of Bihar,
YOGENDRA PRASAD,
Secretary to Government.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 83-571+400